

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

रामनिवास खैरत

चन्दा राध खैरत

किस्म प्रकरण :-

राजस्व वाद सं. 43/2018

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
4.5.18	<p>यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री गोविंद राम खन्ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.5.18को पेश हो।</p> <p>10.5.18 फजलकी न्याय आप के हाट सिविल में अदालत सेवा केन्द्र तेकरा में पैदा हुवी पकील वकील व पक्षकारान ने उपहित होकर राजीनामा पेश किया जिस को लरपेच आप के तेकरा ने लक्ष्मी विजातथा रून की पहचान से प्रतिवादी सं-02 राजपेरोकार ने जबाब पेश किया जिस को शासिल पत्रावली किया गया। वादीगण का वाद राजीनामा के अभाव में स्वीकार किया जाता है। अतः उपाय उपाय डिफि पची जारी हो। पत्रावली नम्बर से काम होकर व फैसल अमार होकर इफतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> जायल, जिला नागौर</p>	
17.5.18	<p>पकील वकील ने राजीनामा पत्र पेश कर निकाल किया कि लिपिकीय त्रुटि से रजिस्ट्रार नम्बर 245 रकडा 7210 की धारा अधिक दर्ज हो गया है जिस के कारण नामा तलब फर्द नहीं हो रहा है इसलिये लेशोचित डिफि पची जारी किया जावे।</p>	

पत्रावली का अवलोकन किया गया  
रखवा नम्बर 345 रकबा 26 बीघा  
03 मिल्का का विभाजन किया गया  
था किले में 7.10 बीघा कुठि अधिक  
घोषित कही गई थी किल में सुधार  
करना न्याय संगत है। अतः जमीन का  
जायजा पत्र स्वीकार किया जाता है तथा  
लिपिकीय खाल को सुधार करने के  
आदेश दिए जाते हैं पत्रावली स्वीकार  
दाखिल हो।

